

3

25.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 15/2020 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट को वादी पक्ष की गैरहाजरी के कारण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर, निर्णित किया जा चुका है।



ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र में आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या 15/2020 के साथ नत्थी रहें।

उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला (भीलवाड़ा) राज.